उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19–सी, विधान सभा मार्ग
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना / विज्ञप्ति

पत्र संख्याःपीआरपीबी–अनु–6–प–2/2015(चयनप्रकिया) दिनांक अक्टूवर 01 ,2019

आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 में स्पेशल लीव पिटीशन संख्या 20015/2018 आशीष कुमार यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश 24.07.2019 के अनुपालन में अतिरिक्त 226 (महिला/पुरूष) अभ्यर्थियों की दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सा परीक्षण के सम्बन्ध में।

माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित स्पेशल लीव पिटीशन संख्या आशीष कुमार यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 24.07.2019 के द्वारा आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2013 के अन्तर्गत रिक्त 2312 एवं 982 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश पारित किया गया है।

2– उपरोक्त रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त **226 (महिला/पुरूष) अभ्यर्थियों** के दस्तावेजो की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण कार्यवाही कराया जाना है। यह कार्यवाही रिजर्व पुलिस लाइन्स लखनऊ में दिनांक 05.10.2019 को प्रातः 8.00 बजे से आयोजित की जायेगी। दस्तावेजो की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण की कार्यवाही गठित दल द्वारा किया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों की दस्तावेजों की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण कराया जाना है उनके नामों की सूची बोर्ड की बेवसाइट– http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है।

3– दस्तावेजों की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा की कार्यवाही बोर्ड द्वारा पूर्व में प्रकाशित सूचना/विज्ञप्ति संख्या पीआरपीबी–एक–1(28)/2013 दिनांकित 14.05.2013 एवं दिनांकित 20.06.2013 में दी गयी प्रक्रिया के अनुरूप सम्पादित की जायेगी। दस्तावेजों की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा दिनांक 05.10.2019 से रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ केन्द्र पर प्रारम्भ होगी।

4– अतः बुलाये जा रहे अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे दस्तावेजों की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण हेतु अपने समस्त मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र तथा यदि आरक्षण का दावा करना है तो जाति प्रमाण पत्र सहित पूर्व में की गयी विज्ञप्ति दिनांकित 14.05.2013 एवं 20.06.2013 में दिये गये निर्देशों के अनुसार नियत तिथि , समय व स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। नियत तिथि को अनुपस्थित होने पर पुनः कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा।

5– दस्तावेजों की संवीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अंकित अपनी पात्रता, आरक्षण, अधिमानी अर्हता आदि प्रविष्टियों के मिलान हेतु सभी मूल प्रमाण पत्र एवं जमा करने के

लिए इन प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक–एक छाया प्रति साथ लेकर आना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के सभी सुसंगत अभिलेखों की मूल रूप में जॉच उसी दिन की जायेगी जिस दिन उसे चिकित्सा परीक्षा हेतु बुलाया गया है। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख ठीक पाये जायेगें, वे ही चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होगें।

6– चिकित्सा परीक्षा के समय प्रयोग हेतु अभ्यर्थी को अपना एक नवीनतम आवक्ष फोटोग्राफ (04 से0मी0X03से0मी0)साथ लेकर आना अनिवार्य है।

7– चिकित्सा परीक्षा में शारीरिक मानक परीक्षण भी सम्मिलित है। शारीरिक मानक परीक्षण एवं चिकित्सा परीक्षण दोंनों में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थी ही सम्पूर्ण परीक्षण में उपयुक्त होगें। इनमें से किसी एक परीक्षण में अनुपयुक्त अभ्यर्थी सम्पूर्ण परीक्षण में अनुपयुक्त होगे।

8– चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी है और श्रेष्ठता सूची पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इसमें सफल होने का यह अर्थ नहीं होगा कि अभ्यर्थी का चयन हो गया है। अभ्यर्थी का चयन अन्तिम श्रेष्ठता सूची पर निर्भर करेगा।

9– कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील दर्ज करा सकता है। अपील दर्ज कराने पर उसका सम्यंक विचारण/निस्तारण किया जायेगा। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और उसके परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है, तो ऐसी किसी अन्य अपील पर विचार नहीं किया जायेगा।

10– यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उनपर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

11– **दस्तावेजों की संवीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षण की तिथि –05.10.2019 समय –प्रातः 8.00 बजे से, स्थान– रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ।**

अपर सचिव,भर्ती

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

लखनऊ।